

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>अनिल कुमार गोयल बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 17/2021</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>01.03.21</p>	<p>अपीलार्थी अनिल कुमार गोयल, पता ग्राम पोस्ट हाजीवास तहसील रायपुर जिला पाली(राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 14.12.20 में उसके द्वारा (1) सेवानिवृत्त भू-अभिलेख निरीक्षक श्री भंवरसिंह भाटी के संविदा पुनर्नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, शहर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 318 दिनांक 19.02.2021 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि अपर जिला कलक्टर भू.रू. एवं प्रभारी अधिकारी, भू.अ. जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी अनिल कुमार गोयल को इस कार्यालय के पत्रांक 157 दिनांक 22.01.21 पंजीकृत पत्र द्वारा कुल 21 पृष्ठों की सूचना प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	